The report now received from the Andaman and Nicobar Administration has revealed that no new Island had come into existence in that area and it was in fact a Wedge rock already in existence that was mistaken to be a new Island after people in that area had noticed certain eruptions.

2. The delay in making this statement modifying the earlier answer is on account of the fact that aerial reconnaisance of the area had to be done and the report had to be compared with the chart issued by the Marine Survey of India.

13-21 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-three past fourteen of the Clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

MATTERS UNDER RULE 377

(i) The state of affairs in Jawaharlal Nehru University

भी मनीराम बागड़ी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम रोज रोज झा जाता है।

थी मनीराम बागडी: रोज कभी था सकता है किसी एक का? इनकी बताइये कि हफ्ते में एक ही भाया करता है, वह भी स्पीकर महोदय कुछ ऐसा कह देते हैं कि प्रसवार, रेडियो वाले लिखते नहीं हैं।

भी रामावतार शास्त्रीः (पटना) : श्राज देंगे भाषका, घबडाइये मंत ।

श्री मनीराम बागडी: ग्रापकी सिफा-रिश है क्या? कल तुम्हारे भादमी ने ही गलत-फहमी कर दी थी, किसी का नाम नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, 4 मई, 1981 को बहुत से संसद-सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याप्त तथा कथित भ्रष्टा-ग्रनियमितता तथा श्रव्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एक्ट के प्रन्तर्गत विजिटर जांच की मांग की है। संसद्-सदस्यों ने उस हेत् एक ज्ञापन भी दिया है जिस पर 161 सांसदों के हस्ताक्षर हैं । संसद के इतिहास में किसी एक सवाल पर शायद ही इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने एकमत हो इतने प्रभावकारी ढग से भ्रपने को व्यक्त किया हो।

नेहरू विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों में एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना एक नया शैक्षां एक आदशे कायम करने के उद्देश्य से की गई थी धौर इस पर करोड़ों की धनराशि व्यय की जा चुकी है। बहें खेद का विषय है कि कुछ भ्रष्ट तत्वों तथा श्रधिकारियों के कारण इस संस्था की दयनीय दशा हो गई है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यूनिवसिटी कोर्ट की बैठक भी लगभग दो वर्ष बाद बुलायी गई भीर ऐक्ट के भन्तर्गत गठित उप वैधिक समितियों की भी सर्वधा उपेक्षा की जा रही है। विश्वविद्यालय में बार-बार हड्ताल हो रही है। विद्यार्थियों को पानी एव बिजली भी उपलब्ध नहीं है। छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच मूठभेड़ हो रही है, ग्राच्यापकों के ग्रावासों पर डैकतियां हो रही

[श्रीमनीराम बाग्यही]

हैं भीर तनावपूर्ण स्थिति बनी है। एक छात्रा पर गोली चलाई गई तथा पुस्तकालय के ठीक सामने एक भ्रष्ठजली लाश परसों पाई गई है।

संसद् में भ्रनेकों बार इस सम्बन्ध में प्रदन उठाये गये हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। भ्रतः इस बात की नितांत भावदयकता है कि सारे मामले की व्यापक एवं उचित जांच कराई जाये ताकि विदय-विद्यालय परिसर में एक स्वस्थ एवं भादर्श भौक्षागुक वातावरण कायम हो सके।

(ii) Alleged repression of Loco running Staff and Steps to implement their demands

SHRI A.K. BALAN (Ottapalam): The Loco-running Staff agitation which is more than a month old has been called off. Violation of agreements, curtailment of privileges, denial of not only trade union rights but also fundamental rights and mass dismissal were the immediate provocations for the agitation. Such a situation prevailed all over the nine Zonal Railways.

The Railway Ministry never cared to redress the grievances of locomen through negotiation. Instead, they resorted to all sorts of punitive and repressive measures. The magnitude of victimisation, arrests and police repression was such that staff were scared even to move out of their homes. In Southern Railways alone there are 83 cases of forcible retirement after the age of 55 years, 30 removal from service in summary and arbitrary way. 14 penal transfers, 18 suspensions and 28 court cases besides a volume of chargesheets numbering about 409.

Considering the adament and stiff attitude of the Railway Ministry, the All India Loco-running Staff Association went ahead by volunteering to call-off the agitation on three conditions, namely, incorporating 10 hours', duty in the hours of Employment Regulations, restoring status-quo-ante as on 31-12-1980 as regards victimisation, arrests and working systems fixing of date for discussion to settle agreed and pending matters.

Now, that the agitation has been called off, we hope that the Government and the Railway Ministry will come forward and stop victimisation and repression and concede the long-pending demands in the interest of maintaining industrial peace in Railways, which can only be ensured by mutual confidence and co-operation.

(iii) Need for amendment in the Indian Electricity (Supply) Act, 1948 to improve electricity services

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन): उपाष्यक्ष महोदय, इण्डियन इलैन्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 में यह कहा गया है कि समाज के सभी तबकों में विद्युत प्रदाय "रीजनेबल रेट्स" पर तथा विद्युत मंडलीं को "नो प्राफिट नो लास" के ग्राधार पर चलाया जाएगा। किन्तु इस कानून की **था**वनाके विपरीत सरकार विद्युत उप-भोक्ताम्रो से 16 प्रतिशत इल विट्सिटी ब्यूटी के रूप में, विद्युत उत्पादन पर 2.25 पैसे प्रति-यूनिट इलैंक्ट्रिसटी जेनीरेशन एक्साइज इयुटी के रूप में तथा विद्युत गृहों के निर्माण, पावर टांसमिकान, ग्राभीए विद्यातीकरण पर दिए जाने वाले ऋरगों पर भारी मात्रा में रायल्टी, लीज चार्जिज तथा व्याज वसूल करती है, जिससे जहाएक मीर देश में विद्युत की दरों में वृद्धि होने के कारए।